

12/22

कोलायत

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 4 ता 19
की ओर से कोई उपास्थित नहीं। पत्रावली का
अपलोडन किया दिनांक 18/09/22 को न्यायालय
द्वारा राई 0 A 10 ले नोटिस निजवाने हेतु आदेशित
किया गया था लेकिन अभी तक न्यायालय के
आदेशों की पालना नहीं की गई है। कि हाजि
न्यायालय की अन्तर्निहित शर्तों CPC 151 के
उपबन्धों अनुसार अदम दफ्तर में वाद पत्र
स्वीकृत किया जाता है। निर्णय लेने इजलास
सुनाया गया। पत्रावली फौजिल सुमार होकर दायित्व
दफ्तर है। 4

उपस्थित अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर